न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

प्रकरण संख्याः— 125/2018 (रैफरेन्स)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास, जिला भरतपुर।

..... **प्रार्थी**

बनाम

दुर्गे स्टोन क्रेशर गूजर बलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

1. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री जयशिवराम जाति वैश्य निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. श्री नरेश सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह जाति गूजर निवासी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
4. श्री अमरसिंह पुत्र श्री हजारीलाल जाति गूजर निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... **अप्रार्थी**

रैफरेंस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्टोन क्रेशर के लिये औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण को निरस्त कराने बाबत।

उपस्थित :
1. पैरोकार सरकार
2. श्री पुष्पेन्द्र गुर्जर वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 10.1.2019

प्रार्थी तहसीलदार रूपवास (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 83 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 233/1 रकबा 12.10 बीघा किस्म कदीम वाकै ग्राम गूजर बलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थापित स्टोन क्रेशर (दुर्गे स्टोन क्रेशर) भूमि रूपान्तरण नियमों के विपरीत पाये जाने के कारण भूमिधारी की हैसियत से यह रैंफरेंस वास्ते भू सम्परिवर्तन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद न्यायिक प्रकिया पूर्ति नियत दिनांक को वकील उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपने बहस तर्कों में प्रार्थना पत्र रैफरेंस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित संपरिवर्तित भूमि ग्राम चकगूजरबलाई तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है और प्रार्थी/तहसीलदार लैण्ड होल्डर की हैसियत से रैफरेंस प्रस्तुत करने में सक्षम है। ख0नं0 233/1 रकबा 12.10 बीघा किस्म कदीम वाकै ग्राम गूजर बलाई तहसील रूपवास अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसमे स्टोन केशर (दुर्गा स्टोन केशर) संचालित है। यह कि उक्त संपरिवर्तित भूमि में स्थापित स्टोन केशर के पश्चिम दिशा में ग्राम सेमरा माफी की आबादी से 1200 मीटर एवं दक्षिण दिशा में ग्राम गूजरबलाई की आबादी से 1200 मीटर की दूरी पर है । अतः स्टोन केशर आबादी से निर्धारित दूरी पर नहीं है। इसके अलावा मौके पर केशर की चार दिवारी का निर्माण नहीं किया गया है। इस स्टोन केशर पर कन्वेयर टीन शैड व वाटर कम्प्रेशर सिस्टम भी स्थापित नहीं है और न ही केशर के एक तिहाई भाग में वृक्षारोपण किया गया है। इस स्टोन केशर के संचालित रहने से धूल मिट्टी उडती रहती है जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तहसीलदार रूपवास द्वारा उपरोक्तानुसार रैफरेंस प्रार्थना पत्र प्रेषित कर निर्धारित मापदण्ड मुताबिक उक्त स्टोन केशर स्थापित नहीं होने के कारण संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये रैफरेंस में अंकित सभी तथ्यों को रिकार्ड एवं मौके से विपरीत होना जाहिर करते हुये अपनी बहस तर्कों में मुख्य कथन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1–4 वर्णित भूखण्ड (एम0आर0 ग्रिट उद्योग) के एकमात्र स्वामी व मालिक हैं। यह रैफरेंस 83 एलआरएक्ट के अंतर्गत पेश किया गया है जो संधारण योग्य नहीं है। प्रस्तुत रैफरेंस में किस आदेश को निरस्त कराया जाना है ? उसका हवाला प्रार्थना पत्र में नहीं दिया गया है न ही रैफरेंसाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है ऐसी स्थिति में यह रैफरेंस रैफरेंसाधीन आदेश के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं रहता है। यह कनवर्सन आदेश क्रमांक राजस्व/12/ 3(20) 06 /139 दिनांक 13.12.2006 जिला कलक्टर भरतपुर के विरूद्ध पेश किया है जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर द्वारा पारित आदेश है जिसका रैफरेंस न्यायालय हाजा में सुनवाई क्षेत्राधिकार में नहीं रहता है। यह रूपान्तरण उस समय प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मानक पूरे होने पर किया गया है। दौरानें रूपान्तरण राजस्व कर्मचारियान/ अधिकारियान द्वारा तैयार चैक लिस्ट के बिन्दु संख्या 19 व 26 में रूपान्तरित स्थल को आबादी क्षेत्र की दूरी से अधिक स्थित होने के कारण ही भूमि का रूपान्तरण किया गया है। चैक लिस्ट की बिन्दु संख्या 19 में चारो दिशाओं की आबादी को उक्त रूपान्तरित स्थल को निर्धारित दूरी से भी अधिक दूरी का माना है तथा यह तथ्य बिन्दु संख्या 26 से स्पष्ट हो जाता है जिसमें अंकित है कि 2 कि0मी0 की परिधि या क्षेत्र में कोई 1000 आबादी वाला या 500 जनसंख्या वाला कोई राजस्व ग्राम स्थित नहीं है। इसके अलावा यह रूपान्तरण राज0 भू राजस्व (कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ) भू सम्परिवर्तन नियम 1992 के तहत उक्त रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो तत्कालीन नियमों के परिपेक्ष्य में बाद जांच नियमानुसार पाये जाने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर द्वारा किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अप्रार्थी की स्टोन केशर पर चार दिवारी का निर्माण हो रहा है एवं केशर संचालन में

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पानी की मात्रा का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ते में पानी का छिडकाव भी किया जाता है अन्य जो कथन टीनशैड वाटर कम्प्रेशर सिस्टम एवं वृक्षारोपण की जो अनियमितता प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की गई है वह मौके के विपरीत है। अप्रार्थी द्वारा पर्यावरण व लोगों के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुये ध्यान रखते हुये ही स्टोन क्रेशर का संचालन किया जा रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा स्टोन क्रेशर संचालन हेतु राज0 राज्य प्रदूषण बोर्ड के नियम व निर्देशों की पालना की जा रही है। वर्तमान में समस्त विधिक औपचारिकताऐं पूर्ण है तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने भी कोई एतराज नहीं किया है और ना ही क्रेशर से कोई प्रदूषण होना माना गया है। वास्तव में अप्रार्थी का स्टोन क्रेशर आबादी की निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर स्थित है। तहसीलदार रूपवास के द्वारा रैफरेंस प्रार्थना पत्र में आबादी की गणना खेतों में बसे घरों से की जाकर अपने प्रार्थना पत्र में अनियमितता होना अंकित किया गया है जबकि राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप (6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प0. 10(8) राज–6/2001/6 जयपुर दिनांक 28.3.2007 एवं परिपत्र क्रमांक प.9(98) राज.6/2014/1 जयपुर दिनांक 28.4.2016 के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। जिसमें दूरी मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से गणना योग्य है। उनका यह भी कथन है कि वक्त भूमि रूपान्तरण आदेश तिथि को गांव की मुख्य आबादी से निर्धारित दूरी पर ही मौके पर स्थित होने के कारण ही चैक लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार रूपान्तरण किया गया है। जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश भूमि रूपान्तरण के विरूद्ध रैफरेंस प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थी की बहस तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह रैफरेंस 83 एलआरएक्ट के अंतर्गत पेश किया गया है जो संधारण योग्य नहीं है। प्रस्तुत रैफरेंस में किस आदेश को निरस्त कराया जाना है ? उसका हवाला भी प्रार्थना पत्र में नहीं दिया गया है न ही रैफरेंसाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है। ऐसी स्थिति में यह रैफरेंस रैफरेंसाधीन आदेश के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं रहता है। इसके अलावा वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतियों से यह स्पष्ट है कि यह रैफरेंस जिला कलक्टर भरतपुर के रूपान्तरण आदेश क्रमांक राजस्व/12/3(20)06/139 दिनांक 13.12.2006 के विरूद्ध पेश किया गया है लिहाजा इस अदालत को श्रृवणाधिकार प्राप्त नहीं होते है ऐसी स्थिति में यह प्रकरण विधि विरूद्ध प्रस्तुतीकरण एवं सुनवाई क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य रहता है।

अतः प्रार्थनापत्र रैफरेंस विधि विरूद्ध प्रस्तुतीकरण एवं सुनवाई क्षेत्राधिकार न होने के कारण इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2019 सरे इजलास सुनाया गया।

10.1.19

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)